24/8/19

पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित। प्रार्थना पत्र धारा 212 अ. पर बहस अधिवक्ता उभयपक्षान सुनी गई। अधिवक्ता वादीगण ने कथन किया कि स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि ग्राम खरवा की जमाबन्दी सम्वत 2069-2072 मे प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी दर्ज है। पत्रावली पर समस्त तथ्यों पर मनन करने पर आदेश दिये जाते है कि ग्राम खरवा पटवार हल्का खरवा तहसील मसूदा के खसरा नम्बर 1983 रकबा 04-16-10 व 2003 रकबा 06-18-10 बिघा भूमियों की मूल वाद के अन्तिम निर्णय पारित होने की तिथी तक उभयपक्षकारान के विवादित आराजीयात बाबत राजस्व रेकार्ड एवं मौके पर आज की यथास्थिति बनाये रखेंगे। तथा एक दुसरे के कब्जे काश्त मे दखल अंदाजी नही करेंगे और न करें एवं हस्तान्तरण आदि नही करें। आदेश आज दिनांक को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर) राज.

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.18 17:48:43 IST
Reason: SelfAttested